

न्यायालय:- आसिफ अहमद अब्बासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील चंदेरी
चन्देरी जिला-अशोकनगर म0प्र0

दांडिक प्रकरण क-415/05

संस्थित दिनांक-20.10.2005

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा
आरक्षी केन्द्र चंदेरी
जिला अशोकनगर।

.....अभियोजन

विरुद्ध

पप्पू पुत्र दयाराम आदिवासी उम्र 32 साल
निवासी ग्राम सोना, जिला अशोकनगर म0प्र0

.....अभियुक्त

-: निर्णय :-

(आज दिनांक 18.09.2017 को घोषित)

- 01- अभियुक्त के विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम-1927 की धारा-26 (1) (छ) के तहत दण्डनीय अपराध के यह आरोप है कि उसने दिनांक-19.10.05 को बीट मलाखेडा के कक्ष क्रमांक-410 में अवैध रूप से फर्सी पत्थरों का उत्खनन किया।
- 02- अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक-19.10.05 को वनमण्डल अधिकारी चंदेरी के हमराह वनपरिक्षेत्र अधिकारी अन्य वनकर्मियों के साथ शासकीय वाहन क्रमांक M.P. 02 4684 से वन गश्त करते हुये बीट मलाखेडा के कक्ष क्रमांक-410 के एक स्थान पर पहुंचे, तो वहां उन्हें औजारों के चलने के आवाज सुनाई दी। वाहन रोककर आवाज की ओर चारों तरफ से घेर कर देखा, तो दो व्यक्ति पत्थर काटते एवं खुदाई करते हुये दिखाई दिये जिन्हें पकड़कर उनका नाम पता पूछने पर उन्होंने अपना नाम पप्पू पुत्र दयाराम, एवं इम्मा पुत्र प्रभु आदिवासी बताया और यह भी बताया कि वह 10-15 दिन से झल्लू राजा निवासी सोना के लिये उत्खनन कर रहे हैं तथा मुनिम रम्पू पुत्र चुन्ना चौधरी उन्हें पैसों का भुगतान करता है। वनकर्मियों के द्वारा मौके पर ही 15 फर्सी पत्थर व पत्थर काटने एवं खोदने के उपकरण जप्तीपत्रक प्रदर्श-पी-1 के अनुसार जप्त कर बीट गार्ड हेमसिंह (अ0सा0-3) ने जप्ती पंचनामा बनाया तथा वन अपराध पाये जाने पर मौके पर ही हेमसिंह के द्वारा P.O.R. क्रमांक-7572/22 अंतर्गत धारा-26 (1) (छ) वन अधिनियम के तहत काटी गई। अभियुक्तगण को मौके पर गिरफ्तार किया गया उनके कथन अंकित किये गये। पंचनामा प्रदर्श-पी-4 तैयार किया गया तथा विवेचना पूर्ण होने पर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

03—अभियुक्त को उसके विरुद्ध लगाये गये दण्डनीय अपराध को आरोप पढ कर सुनाये गये उसने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्त का परीक्षण अंतर्गत धारा-313 द0प्र0सं0 में कहना है कि वह निर्दोष है उसे झूठा फंसाया गया है।

04— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :-

1.	क्या अभियुक्त पप्पू ने दिनांक-19.10.05 को बीट मलाखेडा के कक्ष क्रमांक-410 में अवैध रूप से फर्सी पत्थरों का उत्खनन किया ?
2.	दोष सिद्धि अथवा दोष सिद्धि ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

05— अभियोजन की ओर से प्रकरण में अपने समर्थन में सुरक्षा श्रमिक साबिर खां (अ0सा0-1) सहित तत्कालीन परिक्षेत्र सहायक नाथू सिंह (अ0सा0-2) एवं तत्कालीन वनरक्षक हेमसिंह (अ0सा0-3) के कथन न्यायालय में कराये गये। नाथू सिंह (अ0सा0-2) एवं हेमसिंह (अ0सा0-3) का अपने न्यायालीन कथनों में कहना है कि वह दिनांक-19.10.15 को एस0 डी0 ओ0 सहित वन कर्मियों के साथ वनक्षेत्र में भ्रमण करने के लिये गये थे, जहां बीट मलाखेडा के कक्ष क्रमांक-410 में पहुंचने पर उन्हें दो व्यक्ति दिन में पत्थरों का उत्खनन करते हुये मिले थे, जिन्हें मौके पकडकर उनसे उत्खनन के उपकरण एवं फर्सी पत्थर जप्त किये थे। हेमसिंह (अ0सा0-3) ने हालांकि अपने कथनो में यह व्यक्त किया है कि जिन दो लोगों को मौके पर पकडा गया था तथा जिन से जप्ती की कार्यवाही की गई थीं, वह अभियुक्तगण थे, यह वह नहीं बता सकता है और न ही वह अभियुक्तगण को पहचानता है, परन्तु परिक्षेत्र सहायक नाथूसिंह (अ0सा0-2) ने अपने कथनो में यह स्पष्ट किया है कि उक्त दोनों व्यक्ति प्रकरण में अभियुक्त पप्पू एवं इम्मा थे।

06— नाथू सिंह (अ0सा0-2) एवं हेमसिंह (अ0सा0-3) इन दोनों ही साक्षियों ने अपने कथनों में इस बात की पुष्टि की है, वह दिनांक-19.10.05 को वन क्षेत्र में भ्रमण करने के लिये अन्य वन कर्मियों के साथ बीट मलाखेडा के कक्ष क्रमांक-410 में पहुंचे थे तथा बीट मलाखेडा के कक्ष क्रमांक-410 में ही उन्होंने दो व्यक्तियों को पत्थरों का उत्खनन करते हुये देखा था, परन्तु इन दोनों ही साक्षियों ने

अपने कथनों में यह स्पष्ट नहीं किया है कि बीट मलाखेडा के कक्ष क्रमांक-410 में जो कि एक बड़ा क्षेत्र हैं, में किस स्थान पर अभियुक्तगण पत्थरों का उत्खनन करते हुये पाये गये थे। हेमसिंह (अ0सा0-3) जो कि जप्ती कर्ता अधिकारी है ने अपने कथनों में जप्ती के संबंध में यह स्पष्ट नहीं किया है कि मलाखेडा के कक्ष क्रमांक-410 में किस स्थान से उसने जप्ती की कार्यवाही की थी। वही अभियोजन के द्वारा पक्षविरोधी किये जाने के बाद किये गये परीक्षण में यह साक्षी उपकरणों को खदान पर से जप्त करना बताता है, परन्तु उक्त खदान कक्ष क्रमांक-410 में कहा स्थित थी यह इस साक्षी ने स्पष्ट नहीं किया है।

07- भारतीय वन अधिनियम-1927 की धारा-26 में वर्णित अपराध आरक्षित वन के संबंध में अतः ऐसे में धारा के तहत अपराध घटित होना साबित करने के लिये सर्व प्रथम तो यह साबित किया जाना आवश्यक है कि जिस स्थान पर अपराध घटित हुआ वह स्थान आरक्षित वन की श्रेणी में आता है। क्योंकि जब तक अपराध आरक्षित वन में नहीं किया जावेगा। तब तक उक्त अपराध भारतीय वन अधिनियम-1927 की धारा-26 में उल्लेखित अपराध की श्रेणी में नहीं आयेगा। नाथू सिंह (अ0सा0-2) व हेमसिंह (अ0सा0-3) के द्वारा न्यायालय में दिये गये कथन इस संबंध में स्पष्ट नहीं है कि बीट मलाखेडा के कक्ष क्रमांक-410 में किस स्थान से अभियुक्तगण को पत्थरों का उत्खनन करते हुये उन्हें गिरफ्तार कर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था।

08- अभियोजन की ओर से प्रकरण मे मलाखेडा के कक्ष क्रमांक 410 से संबंधित नक्शा प्रदर्श-पी-6 प्रस्तुत किया गया है जो कि परिक्षेत्र सहायक नाथू सिंह (अ0सा0-2) के द्वारा तैयार किया गया जिस इस साक्षी ने अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किये है। बचाव पक्ष की ओर से प्रदर्श-पी-6 को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि उक्त नक्शा न तो मूल हैं, और न ही मूल की प्रमाणित प्रतिलिपि है। इसलिए वह साक्ष्य में ग्राह्य नहीं हो सकता है तथा उक्त आपत्ति को सुरक्षित रखा गया था, जिसके संबंध में यह उल्लेखनीय है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम-1872 की धारा-64 के अनुसार दस्तावेज की अंतर वस्तु को प्राथमिक साक्ष्य अर्थात् दस्तावेज को प्रस्तुत करके साबित किया जा सकता है और उक्त दस्तावेज की द्वितीय साक्ष्य तबतक साक्ष्य में ग्राह्य नहीं होती है जब तक की भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा-65 की शर्तों की पूर्ति नहीं हो जाती है। अतः प्रदर्श-पी-6 के नक्शों के संबंध में सर्वप्रथम तो यह देखा जाना है कि उक्त दस्तावेज प्राथमिक साक्ष्य है अथवा नहीं और यदि वह प्राथमिक

साक्ष्य नहीं है, तो उक्त दस्तावेज को द्वितीय साक्ष्य में ग्राह्य किये जाने के लिये धारा 65 साक्ष्य अधिनियम की शर्तों की पूर्ति की गई है अथवा नहीं।

- 09— प्रत्येक वन क्षेत्र के लिये टोपो शीट तैयार की जाती है तथा कौन सा क्षेत्र आरक्षित वन क्षेत्र हैं, यह राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर अधिसूचना के आधार पर निर्धारित किया जाता है। वर्तमान प्रकरण में प्रदर्श-पी-6 का जो नक्शा पेश किया गया है। उसके संबंध में स्वयं नाथू सिंह का ही यह कहना है कि उक्त नक्शा मूल नक्शा नहीं है, बल्कि मूल नक्शों से ट्रैस कर तैयार किया गया है। मूल से ट्रैस किया गया कोई भी दस्तावेज भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 62 के अंतर्गत प्राथमिक साक्ष्य नहीं है। अतः प्रदर्श-पी-6 का जो नक्शा अभिलेख पर प्रस्तुत किया गया है वह प्राथमिक साक्ष्य नहीं है। यदि उक्त दस्तावेज को द्वितीय साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है, तो उसके संबंध में धारा 65 की शर्तों की पूर्ति भी नहीं की गई है। प्रदर्श-पी-6 मूल नक्शों की सत्यप्रतिलिपि भी नहीं है, जिससे प्रदर्श-पी-6 का दस्तावेज विधिवत् प्रमाणित नहीं होता है। अतः ऐसे घटना स्थल बीट मलाखेडा के कक्ष क्रमांक-410 में किस स्थान पर स्थित हैं तथा उक्त स्थान आरक्षित वन था अथवा नहीं, यह अभिलेख पर अभियोजन की ओर से प्रस्तुत की गई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से साबित नहीं होता है।
- 10— जप्तीकर्ता अधिकारी हेमसिंह (अ0सा0-3) अपने कथनों में प्रदर्श-पी-1 की जप्ती की कार्यवाही स्वयं किया जाना बताता है, जिसकी पुष्टि नाथू सिंह (अ0सा0-2) ने भी अपने कथनों में की है, परन्तु उक्त जप्ती की कार्यवाही के साक्षी कौन थे, यह इन दोनों ही साक्षियों ने स्पष्ट नहीं किया है। जप्तीपत्रक पर साक्षियों के नाम अंकित है परन्तु उस पर गवाहों के हस्ताक्षर नहीं है। इस तथ्य को स्वयं जप्तीकर्ता अधिकारी हेमसिंह (अ0सा0-3) ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है। वही साबिर खां (अ0सा0-1) जिसे जप्ती का साक्षी बनाया गया है, स्वयं भी अपने हस्ताक्षर प्रदर्श-पी-1 पर न होने की पुष्टि करता है। साबिर खां (अ0सा0-1) का अपने कथनों में यह स्पष्ट कहना है कि उसके सामने हेमसिंह (अ0सा0-3) ने प्रदर्श-पी-1 के अनुसार कोई सामान जप्त नहीं किया था। हेमसिंह (अ0सा0-3) ने जप्तीपत्रक प्रदर्श-पी-1 पर साक्षियों के हस्ताक्षर न कराये जाने का कोई स्पष्टीकरण भी प्रस्तुत नहीं किया है।
- 11— जप्ती पंचनामा प्रदर्श-पी-1 कितने बजे तैयार किया गया। इसका उल्लेख भी कहीं भी पंचनामा प्रदर्श-पी-1 पर नहीं है। वहीं क्या क्या सामान मौके से जप्त

किया गया तथा अभियुक्तगण से वास्तव में उक्त सामान जप्त किया गया, यह भी हेमसिंह (अ0सा0-3) ने अपने मुख्यपरीक्षण में स्पष्ट नहीं किया है। अभियोजन के द्वारा पक्षविरोधी किये जाने के बाद भी इस साक्षी का यहीं कहना है कि वह आज बताने की स्थिति में नहीं है कि प्रदर्श-पी-1 की कार्यवाही वास्तव में अभियुक्तगण के संबंध में ही की गई थीं। जप्ती पंचनामा प्रदर्श-पी-1 के अनुसार 15 नग फर्सी पत्थर भी उत्खनन के उपकरणों के साथ हेमसिंह (अ0सा0-3) ने जप्त किये हैं। परन्तु उक्त 15 फर्सी पत्थरों का वर्तमान में अस्तित्व ही नहीं है। क्योंकि हेमसिंह (अ0सा0-3) व नाथू सिंह (अ0सा0-2) दोनों ही साक्षियों का यह कहना है कि उन्होंने मौके पर ही फर्सी पत्थर अधिकारी के कहने पर नष्ट कर दिये थे। परन्तु ऐसा कोई आदेश किसी अधिकारी ने दिया इसका न तो उल्लेख जप्ती पत्रक प्रदर्श-पी-1 में है और न ही पंचनामा प्रदर्श-पी-4 में है।

12- अतः प्रदर्श-पी-1 के अनुसार मात्र अभी उत्खनन के उपकरण ही प्रकरण में जप्त हैं। परन्तु उक्त उपकरणों की पहचान तक का उल्लेख जप्ती पत्रक प्रदर्श-पी-1 में नहीं है और न ही उन पर कोई पहचान चिन्ह अंकित किये जाने का उल्लेख है। जप्तीपत्रक पर दोनों अभियुक्तगण का नाम अंकित है, परन्तु किस अभियुक्त से क्या जप्त किया गया, इस संबंध में न तो जप्ती पत्रक प्रदर्श-पी-1 में स्पष्ट विवरण अंकित है और न ही हेमसिंह (अ0सा0-3) व नाथूसिंह (अ0सा0-2) ने अपने कथनों में स्पष्ट किया है। मौके से उत्खनन के उपकरण अभियुक्तगण के अधिपत्य से जप्त किये गये इस संबंध में अभिलेख पर स्पष्ट साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। नाथू सिंह (अ0सा0-2) अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-7 में यह कहता है कि सामान वहीं पड़ा था जहां आरोपी खड़े थे। जबकि हेमसिंह (अ0सा0-3) का कहना है कि उसे याद नहीं है कि सामान कक्ष क्रमांक 410 में जप्त किया था या नहीं। यह साक्षी इस संबंध में भी स्पष्ट नहीं है कि उक्त कार्यवाही किन गवाहों के समक्ष की थी। यह साक्षी बस सामान की जप्ती खदान से करना बताता है, इसका भी कहीं भी यह कहना नहीं है कि कौन सा सामान किस अभियुक्त से कक्ष क्रमांक 410 के किस स्थान पर से जप्त किया था।

13- यह उल्लेखनीय है कि जप्तीपत्रक प्रदर्श-पी-1 अपने आप में उसमें उल्लेखित कार्यवाही का निश्चायक प्रमाण नहीं है कि अभियुक्तगण मौके पर आरक्षित वन में पत्थरों का उत्खनन कर रहे थे और आरक्षित वन से ही उत्खनन करते समय उन्हें पकड़ा गया और उनके उपकरण जप्त किये गये। प्रदर्श-पी-1 में

उल्लेखित कार्यवाही को मौखिक साक्ष्य से साबित किया जाना आवश्यक हैं, जिसका अभाव अभिलेख पर आई साक्ष्य से एवं उपरोक्त विवेचन से देखा जा सकता है। जप्तीकर्ता अधिकारी यहीं स्पष्ट नहीं कर सका है कि प्रदर्श-पी-1 की कार्यवाही किस स्थान से किन व्यक्तियों के समक्ष एवं किस समय की गई थीं, तथा किस व्यक्ति से क्या जप्ती की गई थीं। मौके पर जप्त दर्शायी गई 15 नग फर्सी पत्थर बिना किसी विधिक प्रक्रिया के यदि मौके पर ही नष्ट कर दिये गये थे, तो मात्र उपकरणों की जप्ती के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जाना संभव नहीं है, उक्त उपकरणों से हीं आरक्षित वन में अभियुक्तगण के द्वारा उत्खनन का कार्य किया जा रहा है। अतः अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर जप्ती पत्रक प्रदर्श-पी-1 की कार्यवाही साबित नहीं होती है। बल्कि अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक साक्ष्य से उक्त संपूर्ण कार्यवाही दूषित हो जाती है।

- 14- नाथू सिंह (अ0सा0-2) ने अपने कथनों में अभियुक्तगण को मौके से गिरफ्तार करने के संबंध में एवं गिरफ्तारी के उपरान्त पंचनामा प्रदर्श-पी-2 व 3 बनाये जाने के संबंध में स्पष्ट कथन दिये हैं तथा उक्त पंचनामों पर हेमसिंह (अ0सा0-3) ने अपने हस्ताक्षर होना भी स्वीकार किया है, परन्तु मात्र अभियुक्तगण की गिरफ्तारी इस बात का निश्चायक प्रमाण नहीं हो सकती है अभियुक्तगण आरक्षित वन में पत्थरों का उत्खनन करते हुये पाये गये। गिरफ्तारी पत्रकों पर गिरफ्तारी का समय 04:00 बजे अंकित हैं। नाथू सिंह (अ0सा0-2) के अनुसार वह कक्ष क्रमांक 410 में दोपहर लगभग 01:00 बजे पहुच गये थे, परन्तु 01:00 बजे पहुचने के बाद 04:00 बजे की गई गिरफ्तारी की कार्यवाही बिलंब किये जाने का कोई कारण इस साक्षी ने दर्शित नहीं किया।
- 15- यह भी उल्लेखनीय है कि गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श-पी-2 व 3 की कार्यवाही यदि नाथू सिंह (अ0सा0-2) के द्वारा की गई, तो जप्ती प्रदर्श-पी-1 की कार्यवाही बीट गार्ड हेमसिंह (अ0सा0-3) से क्यों कराई गई इसका कोई युक्तियुक्त स्पष्टीकरण नाथू सिंह (अ0सा0-2) ने अपने कथनों में प्रस्तुत नहीं किया है। नाथू सिंह (अ0सा0-2) ने एक ओर जहां घटना का दिनांक एवं गिरफ्तारी कार्यवाही व अभियुक्तगण के कथन लिये जाने के संबंध में स्पष्ट रूप से बताया है कि वहीं यह साक्षी अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-6 में जप्तशुदा फर्सी पत्थरों की लंबाई चौड़ाई एवं मोटाई के संबंध में भी यह कथन देता है कि फर्सियां 9 फीट लंबी 2 फीट चौड़ी व 2 इंच मोटी थीं जबकि

अभिलेख पर ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिनमें उक्त माप अंकित हो। यह साक्षी एक ओर यह कहता है कि घटना को 15 साल होने से उसे आज अपने साथ गये, एसडीओ का नाम याद नहीं हैं, परन्तु यह आश्चर्य की बात है कि अपने अधिकारी का नाम याद न होने पर भी उसे जप्तशुदा फर्सियों की माप की पूरी जानकारी है। नाथू सिंह (अ0सा0-2) के कथनों की सत्यता का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि यह साक्षी पंचनामा प्रदर्श-पी-4 मौके पर तैयार किया जाना अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-4 में बताता है परन्तु उसे सही याद नहीं है कि उक्त पंचनामा प्रदर्श-पी-4 किसके द्वारा तैयार किया गया था।

- 16- अभियोजन की ओर से प्रदर्श-पी-4 के पंचनामा लेखक रेंजर आर के सक्सेना के कथन तक न्यायालय में नहीं कराये गये जिससे प्रदर्श-पी-4 का पंचनामा मौके पर विधिवत् तैयार किया गया, यह प्रमाणित नहीं होता है। पंचनामा प्रदर्श-पी-4 रेंजर आर के सक्सेना के द्वारा तैयार किया जाना हेमसिंह (अ0सा0-3) ने अपने कथनों में बताया है परन्तु नाथू सिंह (अ0सा0-2) यह बताने की स्थिति में ही नहीं है कि रेंजर सक्सेना घटना के समय उसके साथ थे। यह साक्षी अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-7 में यह कहता है कि उसके साथ में कोई सक्सेना नहीं था और न ही सक्सेना ने कोई लिखापट्टी की थीं। अतः जिस व्यक्ति को समय के साथ यह याद न हो कि उसके साथ कौन कौन अधिकारी गश्त के लिये गये थे, तो उसे यह याद कैसे हो सकता है कि किस स्थान पर वह गश्त के लिये गया था और किस व्यक्ति से किस स्थान पर क्या जप्त किया गया था। अतः नाथू सिंह (अ0सा0-2) के कथन भी घटना के संबंध में विश्वसनीय प्रतीत नहीं होते हैं
- 17- जप्ती की कार्यवाही में समय का उल्लेख एवं साक्षियों के हस्ताक्षर न होना व जप्ती की फर्सी पत्थर बिना विधिक प्रक्रिया के नष्ट किया जाना एवं स्वयं जप्तीकर्ता अधिकारी हेमसिंह (अ0सा0-3) के द्वारा यह स्पष्ट रूप से न बता पाना की उक्त कार्यवाही वास्तव में अभियुक्तगण से हुई थी। संपूर्ण कार्यवाही को दूषित कर देता है वहीं नाथू सिंह (अ0सा0-2) के एक मात्र कथन उस कोटि के नहीं हैं, जिसके आधार पर पूरी अभियोजन घटना संदेह से परे साबित होती हो।
- 18- अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य को जहां अभियोजन विधिवत् मौखिक साक्ष्य से साबित करने में सफल नहीं हुआ है वहीं अभियोजन साक्षियों के द्वारा

दी गई साक्ष्य भी संदेह रहित नहीं है तथा नाथू सिंह (अ0सा0-2) व हेमसिंह (अ0सा0-3) के कथनों से उनके द्वारा प्रकरण की विवेचना में की गई कार्यवाही भी संदेह से परे साबित नहीं होती हैं। किसी प्रकरण में दोष सिद्धि के लिये अभियोजन को अपना प्रकरण युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करना होता है, परन्तु वर्तमान प्रकरण में अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर अभियोजन पप्पू पुत्र दयाराम आदिवासी यह युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त पप्पू पुत्र दयाराम आदिवासी ने दिनांक-19.10.05 को बीट मलाखेडा के कक्ष क्रमांक-410 में अवैध रूप से फर्सी पत्थरों का उत्खनन किया।

19-फलतः अभियुक्त पप्पू पुत्र दयाराम आदिवासी के विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-26 (1) (छ) आरोप प्रमाणित न होने से अभियुक्त पप्पू पुत्र दयाराम आदिवासी को भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-26 (1) (छ) के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप में दोष मुक्त घोषित किया जाता है।

20-अभियुक्त पप्पू पुत्र दयाराम आदिवासी के उपस्थिति संबंधी जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। अभियुक्त का धारा-428 द0प्र0स0 का प्रमाण पत्र तैयार कर संलग्न किया जावे। प्रकरण में जप्तशुदा मुद्देमाल का फरार अभियुक्त इम्मा पुत्र प्रभु आदिवासी के संबंध में प्रकरण का निराकरण होने के उपरांत आदेशानुसार निराकरण किया जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(आसिफ अहमद अब्बासी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

